नाम- डॉ. प्रदीप कुमार राय
एसोसिएट प्रोफेसर, रोहतास महिला कॉलेज, सासाराम।
विषय- राजनीति शास्त्र
कक्षा- बी.ए. (प्रतिष्ठा) भाग-02, पेपर-04
दिनांक- 25.07.2020

टॉपिक— सुरक्षा परिषद् की वीटो प्रणाली अथवा निषेधाधिकार की शक्ति— सुरक्षा परिषद् सं. राष्ट्रसंघ के महत्वपूर्ण अंग के रूप में है जो शक्ति के मामले में व्यापक अधिकार से संपन्न है। सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों में से किसी भी एक का नकारात्मक मत सु. परिषद् को निर्णय लेने से रोक सकता है। सु. परिषद् के स्थायी सदस्यों की इस शक्ति को निषेधाधिकार की शक्ति (Veto Power) कहते हैं। अर्थात् प्रक्रिया संबंधी विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों में निर्णय के लिये पांचों स्थायी सदस्यों की सर्व सम्मति अनिवार्य है। यदि कोई भी स्थायी सदस्य इन विषयों में निर्णय के समय अपना नकारात्मक मत प्रदान करता है तो सु. परिषद् उन विषयों पर कोई निर्णय नहीं ले सकती है। इस प्रकार पांच बड़ों में से कोई भी सदस्य दूसरे राज्यों के संबंध में निर्णय लेने एवं उनके विरुद्ध विधि लागू करने में सक्षम हो सकता है किंतु स्वयं विधि के ऊपर है।

__निषेधाधिकार की पृष्ठभूमि__— द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान याल्टा शिखर सम्मेलन में अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सर्वप्रथम निषेधाधिकार का प्रस्ताव रखा था जिसका स्टालिन एवं चर्चिल ने समर्थन किया था। सेन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भी मतदान प्रक्रिया पर विचार-विमर्श के क्रम में चारों महाशक्तियां इस पर एकमत रहीं। ग्रेसन किर्क के अनुसार, निषेधाधिकार दो मूलभूत धारणाओं पर आधारित है। इनमें से प्रथम धारणा यह थी कि किसी भी सशस्त्र कार्यवाही में उसका भार प्रधानतः महाशक्तियों को वहन करना पड़ेगा। दूसरी धारणा यह थी कि संघ को अपनी शक्ति के लिये महाशक्तियों के आवश्यक सहयोग पर निर्भर रहना चाहिये। यदि वह सहयोग अपर्याप्त रहता है तो सशस्त्र सुरक्षा संबंधी व्यवस्थायें भी अवश्य ही असफल हो जायेंगी।

__दोहरा निषेधाधिकार__— ~~संस्थ~~ संयुक्त राष्ट्र चार्टर प्रक्रिया संबंधी तथा महत्वपूर्ण विषयों में भेद तो करता है परंतु उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता।

Scanned with CamScanner

के मत भी सम्मिलित हैं। इन प्रावधानों के कारण ही माना जाता है कि छोटी वीटो की शक्ति के कारण महाशक्तियों को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है जिसके द्वारा वे सुरक्षा परिषद् किसी भी कार्यवाही को रुकवा सकती है।

वीटो का प्रयोग - सुरक्षा परिषद् में वीटो की शक्ति का प्रयोग महाशक्तियों द्वारा व्यापक रूप से किया गया है। सो.संघ ने 16 फरवरी 1946 को पहली बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। सन् 1945 से अब तक सैकड़ों बार महाशक्तियों द्वारा वीटो का प्रयोग किया जा चुका है किंतु इनमें सो.संघ तथा अमरीका ने इसका अपने-अपने स्वार्थों के लिये सर्वाधिक बार प्रयोग किया है। इस दृष्टि से सु.परिषद् में वीटो का प्रयोग शीत युद्ध का दूसरा रूप बन गया। महाशक्तियों द्वारा अपने-अपने विश्वस्तर पर आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बढ़ाने के लिये तथा अपने गुटों को लाभ पहुंचाने के लिये इसका अनेकानेक बार प्रयोग किया है जिससे यह शक्ति महाशक्तियों विशेषकर सो.संघ वर्तमान में रूस तथा सं.रा.अमेरिका के स्वार्थ पूर्ति के प्राप्ति का साधन एवं सु.परिषद् के लिये रोड़ा बन गई है।

निषेधाधिकार का परिणाम - निषेधाधिकार के कारण अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं के निर्णय में बाधा उपस्थित हो गई है। दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक संकीर्ण स्वार्थ एवं अपने-अपने हित के कारण अनेक बार समस्याओं के समाधान में सु.परिषद् में बाधा उपस्थित हुई है तथा इसके प्रभाव में कमी आई है। सु.परिषद् की कार्यक्षमता के प्रभावित होने के परिणामस्वरूप महासभा के शक्ति में बढ़ोतरी हुई क्योंकि निषेधाधिकार के प्रभाव को कम करने के लिये अंतरिम सभा एवं शांति के लिये एकता के प्रस्ताव पारित किये गये। (शेष)